[19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 747]

परिशिष्ट-अ

विधानसभा सत्र माह दिसंबर, 2024 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक- 747 द्वारा माननीय विधायक श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया जी "नगर परिवहन सेवा" के संबंध में।

- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 29/03/2020 के अनुसार लोक परिवहन व्यवस्था स्थापित करने एवं बस संचालन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे। दिशा- निर्देशानुसार शहरी लोक परिवहन बस संचालन हेतु 04 क्लस्टर/मार्ग निर्धारित किये गये, जिनकी दूरी लगभग 80 किमी. हैं एवं 85 बस स्टॉप शामिल किये गये। तत् पश्चात् निविदा जारी की गई, जिसमें 02 निविदाकारो/बस संचालको का चयन कर दिनांक 29/07/2022 को आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) से अनुमोदन के अनुक्रम में दोनो बस संचालको के साथ दिनांक 20/10/2022 को अनुबंध निष्पादित किया गया एवं बसों का संचालन किया गया। सिटी बसों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं-

मेसर्स मीर.एम ट्रांसपोर्टस एलएलपी द्वारा संचालित बसें -

- क्लस्टर/रूट-A- 06 Midi Bus (बहेरिया से न्यू आर.टी.ओ. कार्यालय तक) जिसकी लगभग दूरी- 19 किमी. हैं जिसके अंतर्गत 17 बस स्टोप लिये गये हैं।
- क्लस्टर/रूट-C – 06 Midi Bus (बम्होरी से रतौना तक) जिसकी लगभग दूरी- 25 किमी. हैं , जिसके अंतर्गत 24 बस स्टोप लिये गये हैं।

मेसर्स शहरी सांई ट्रेवल्स एलएलपी द्वारा संचालित बसें -

- क्लस्टर/रूट-B- 07 Midi Bus (बहेरिया से न्यू गल्ला मंडी तक) जिसकी लगभग दूरी-18 किमी. हैं, जिसके अंतर्गत 17 बस स्टोप लिये गये हैं।
- क्लस्टर/रूट-D – 07 Midi Bus ((कनेरादेव से न्यू गल्ला मंडी तक) जिसकी लगभग दूरी-22 किमी. हैं, जिसके अंतर्गत 23 बस स्टाप लिये गये हैं।
- सागर शहर में 25 किमी. की परिधि में सिटी बसों के संचालन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक-1853 of 2023 में पारित निर्णय दिनांक 03/11/2023 के अनुपालन में **"25 किमी. की परिधि में नगरीय निकायो द्वारा संचालित सिटी बसों पर पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के संबंध में स्थगन दिया गया हैं"** । इस संबंध में मान. उच्च न्यायालय के निर्णय एवं परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के आदेश क्रमांक/6064/टीसी/2023 ग्वालियर, दिनांक 08/11/2023 के अनुपालन में 25 किमी. की परिधि में सिटी के संचालन हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक-02/08/2023 एवं 18/12/2023 तथा परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के पत्र क्रमांक/अमृत योजना/2024/34 सागर, दिनांक 23/02/2024 एवं पत्र क्रमांक/अमृत योजना/2024/71 सागर दिनांक 17/05/2024 के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला सागर एवं परिवहन आयुक्त ग्वालियर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
- मान. उच्च न्यायालय के निर्णय एवं परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के आदेश क्रमांक/6064/टीसी/2023 ग्वालियर, दिनांक 08/11/2023 के अनुपालन में 25 किमी. की परिधि में शहरी परिवहन सेवा के संचालन हेतु निर्धारित मार्ग -
  1. REVISED ROUTE NO. 01 (*OLD BUS STAND TO PERSORIYA* TOTAL LENGTH -25 Km) (*Part-I*)
  2. REVISED ROUTE NO. 01 (*OLD BUS STAND TO GHOOGAR BARODA CHOURAHA* TOTAL LENGTH -22.50 Km-RURAL AREA)-(*Part-II*)
  3. REVISED ROUTE NO. 02 (*OLD BUS STAND TO KISHANPURA*-ISHURWARA TOTAL LENGTH-25Km.)-(*Part-I*)
  4. REVISED ROUTE NO. 02 (*OLD BUS STAND TO BARODA RAHLI BUS STAND* TOTAL LENGTH- 25.00Km) -(*Part-II*)
  5. REVISED ROUTE NO. 03 (*OLD BUS STAND TO SIHORA TIGDDA* TOTAL LENGTH-25Km.)- (*Part-I*)
  6. REVISED ROUTE NO. 03 (*OLD BUS STAND TO SURKHI* TOTAL LENGTH-25.00Km.)- (*Part-II*)
  7. REVISED ROUTE NO. 04 (*NEW BUS STAND MOTINAGAR TO BANDRI*) TOTAL LENGTH -25 Km) (*Part-I*)
  8. REVISED ROUTE NO. 04 (*NEW BUS STAND (RTO OFFICE) TO KARRAPUR BUS Stand*) TOTAL LENGTH - 24.5 Km-RURAL AREA)-(*Part-II*)
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला सागर को मार्गो के सूत्रीकरण एवं परमिट हेतु से क्षेत्रीय परिवहन जिला सागर द्वारा अवगत कराया गया कि उप परिवहन आयुक्त की पदस्थपना न होने के कारण परमिट एवं सूत्रीकरण जैसे कार्य नहीं हो सकते हैं, जिस करण से

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

प्रकरण लंबित हैं। साथ ही शहरी परिवहन सेवा हेतु पूर्व में रूपया प्रतिशीट प्रति 90 त्रिताही गाईडलाईन अनुसार कर लगाया जा रहा था एवं परमिट जारी किये गये थे। परंतु वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा रूपया प्रतिशीट प्रति 90 त्रिमाही के स्थान पर रूपया 200 प्रतिशीट प्रतिमाह कर लगाया जा रहा हैं। बस ऑपरेटर्स का निवेदन हैं कि पूर्व में जो कर शहरी परिवहन सेवा हेतु निर्धारित हैं वही कर लगाया जाये, जिससे की सिटी बसों का संचालन नियमित रूप से किया जा सके।

Managing Director
Sagar City Transport Services Ltd.
Sagar (M.P.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(भविष्य खोब्रागड़े)
उप संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल (म.प्र.)